कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग

वन भवन–1, हजारीबाग 825301 (झारखण्ड)

Ph. & Fax (O) - 06546 -222393, Cell No. : 8987790202 E-mail: cf-hazaribagh@gov.in

पत्रांक13E-5-5/2021- दिनांक :–

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।

विषय :– **गोन्दलपुरा कोल खनन परियोजना हेतु 219.80 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/MIN/139492/2021) के संबंध में।**

प्रसंग :– **प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची का पत्रांक 1068 दिनांक 27.10.2023**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल ने अपने पत्रांक 7763 दिनांक 20.12.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा गोन्दलपुरा कोल खनन परियोजना हेतु 219.80 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची का पत्रांक 1068 दिनांक 27.10.2023 द्वारा 7 बिन्दुओं पर किये गये पृच्छा का बिन्दुवार निराकरण प्रतिवेदन प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त कर समर्पित किया है, प्राप्त निराकरण प्रतिवेदन की स्थिति निम्नवत् है:–

क्र.सं.	पृच्छा	निराकरण
1.	वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल के Site Inspection report में प्रतिवेदित किया गया है कि Wildlife Plan/CAT Plan के कार्यान्वयन के बिना प्रयोक्ता अभिकरणों द्वारा सिर्फ बचनबद्धता के आधार पर बहुत सारे खनन कार्य शुरू किया गया है। इस संदर्भ में वैसे सभी परियोजनाओं जिसमें बिना Wildlife Plan/CAT Plan के खनन कार्य शुरू किया गया है, जिसकी विवरणी उपलब्ध कराया जाय।	वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल का मंतव्य प्रतिवेदन/विवरणी **अनुलग्नक–A** के रूप में संलग्न है।
2.	प्रस्ताव के साथ संलग्न माईनिंग प्लान एवं पार्ट–1 में अंकित निम्नवत् तथ्यों में विरोधाभाष है:–	
(क)	विषयगत परियोजना में माईनिंग प्लान के अनुसार वनभूमि में खनन का रकबा 114.8 हे0 का है, जबकि पार्ट–1 में 100.54 हे0 है। इस विरोधाभाष स्थिति को स्पष्ट किया जाय।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जो **अनुलग्नक–B** के रूप में संलग्न है।
(ख)	माईनिंग प्लान के अनुसार वनभूमि एरिया में External OB Dump का रकबा शून्य है, जबकि प्रस्ताव के पार्ट–1 में External OB Dump लिये 89.82 हे0 है। इस विरोधाभाष स्थिति को स्पष्ट किया जाय। OB Dump एक Non-Site Specific कार्य है, इसे वनभूमि पर रखने को औचित्य स्पष्ट किया जाय।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जो **अनुलग्नक–C** के रूप में संलग्न है। Certificate issued by CMPDIL **Appendix-1** के रूप में संलग्न है।
(ग)	माईनिंग प्लान एवं पार्ट–1 में Top Soil के स्टोरेज का विवरण नहीं है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जो **अनुलग्नक–D** के रूप में संलग्न है। प्रथम वर्ष, तृतीय वर्ष एवं पंचम वर्ष का स्टेज प्लान अनुलग्नक **Appendix-2** पर संलग्न है।
(घ)	Road and Infrastructure हेतु माईनिंग प्लान में वनभूमि का एरिया 17.07 हे0 है, जबकि प्रस्ताव के	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जो **अनुलग्नक–E** के रूप में संलग्न

	पार्ट–1 में कुल 12.80 हे0 (वनभूमि का 10.12 एव गैर वनभूमि 2.68 हे0) है। इस विरोधाभाष स्थिति को स्पष्ट किया जाय। Road and Infrastructure एक Non-Site Specific कार्य है, इसे भी वनभूमि पर रखने को औचित्य स्पष्ट किया जाय।	है।
(ड.)	माईनिंग प्लान में वनभूमि का कुल रकबा 136.00 हे0 है, जबकि पार्ट–1 में अपयोजन हेतु वनभूमि का रकबा 219.80 हे0 है। इस विरोधाभाष स्थिति को स्पष्ट किया जाय।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जो **अनुलग्नक–F** के रूप में संलग्न है।
(च)	माईनिंग प्लान 2008 का बना हुआ है। वर्तमान परिवेश में इसके रिविजन की आवश्यकता है, अथवा नहीं इस पर मंतव्य।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जो **अनुलग्नक–G** रूप में संलग्न है।
3.	प्रस्ताव के पार्ट–1 के Serial No. - K में यह अंकित है कि FRA नहीं हुआ है जबकि Additional Information Details में FRA का Certificate Upload है। इस प्रस्ताव के पार्ट–1 में उक्त सुधार की आवश्यकता है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव के पार्ट–1 में सुधार कर दिया गया है, जिसकी प्रति **अनुलग्नक–H** के रूप में संलग्न है।
4.	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले निम्नवत गैर वनभूमि का Ownership/DFO Suitability नहीं है। उपरोक्त भूमि के Ownership के Supporting Documents अपेक्षित है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Tabular Form के साथ क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले गैर वनभूमि का Ownership/DFO Suitability/CA Scheme समर्पित किया है, जो **अनुलग्नक–L** के रूप में संलग्न है।
5.	प्रस्तावित परियोजना के Lease Area के कुछ भाग से नदी गुजर रही है। अतः प्रयोक्ता अभिकरण से यह सूचना प्राप्त की जाय क्या नदी के Relocation की कोई योजना बनी है या नहीं। साथ ही नदी के Lease Area से गुजरने के खनन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस संबंध में मंतव्य सहित प्रतिवेदन अपेक्षित है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जो **अनुलग्नक–I** के रूप में संलग्न है।
6.	Violation नहीं रहने से संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण का वचनबद्धता प्रमाण पत्र।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया है, जो **अनुलग्नक–J** के रूप में संलग्न है।
7.	Minimum Use of Forest Land से संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण का वचनबद्धता प्रमाण पत्र।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया है, जो **अनुलग्नक–K** के रूप में संलग्न है।

अतः वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल से प्राप्त निराकरण प्रतिवेदन की छः प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि अपने स्तर से अग्रेत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त

आपका विश्वासी
ह0/–
वन संरक्षक
प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग

ज्ञापांक 2464 दिनांक 26/12/2023

प्रतिलिपि वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल को उनके पत्रांक 7763 दिनांक 20.12.2023 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

वन संरक्षक
प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग

26.12.23

E:\CFH\F.C. Act\Gondalpura Coal Block\13-5-6-2023.docx